26/3/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली मे हम फ़ीता रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.

मु.न.	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
4/2021	2021/00026	04.02.2021

देव नारायण पुत्र शिब्बूराम जाति लोधा आयु 50 निवासी बरगद के पेड पास गंगापुर रोड तहसील करौली व जिला करौली
सायल

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मोहन फौत जरिये कायम मुकाम
1/1चम्मों वेवा पत्नि प्रहलाद आयु 45 साल
1/2 रिछपाल उर्फ हरी सिंह आयु 25 साल
1/3 राजू उर्फ रामेश्वर आयु 22 साल
2 कन्हैया पुत्र मोहन आयु 26 साल
3 विष्णु पुत्र उकांर आयु 37 साल
4 इन्दर पुत्र बालू फौत जरिये कायम मुकाम
4/1 अशोक कुमार पुत्र इन्दर आयु 48 साल
4/2 हेमराज पुत्र इन्दर आयु 46 साल
4/3 राजेन्द्र पुत्र इन्दर आयु 43 साल
4/4 सोहास पुत्र इन्दर आयु 38 साल
4/5 पवन पुत्र इन्दर आयु 36 साल
4/6 विनोद पुत्र इन्दर आयु 40 साल
5 रेवती बेवा हरीलाल आयु 60 साल
6 अमर सिंह पुत्र गणेश आयु 53 साल
7 भवर पुत्र गणेश आयु 50 साल
8 धर्मसिंह पुत्र कैलाश आयु 35 साल
9 मदन पुत्र गंगाधर आयु 43 साल
10 सीताराम पुत्र गंगाधर आयु 43 साल
11 जगदीश पुत्र गंगाधर फौत जरिये कायम मुकाम
11/1 दिगपाल पुत्र जगदीश आयु 25 साल
11/2 राजू पुत्र जगदीश आयु 23 साल
11/3 मौनू पुत्र जगदीश आयु 21 साल
12रामचरण पुत्र शिब्बूराम आयु 48 साल जातियान लोधा निवासीयान वरगद के पेड के पास गंगापुर रोड करौली तहसील करौली व जिला करौली
13 तहसीलदार करौली लैण्ड होल्डर

गैरसायलान

Signature Not Verified

दर0 अन्तर्गत धारा 212 3... टी.ए.

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 26.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि उनवानी दावा न्यायालय हाजा में

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.40) करौली

Scanned with CamScanner

लम्बित है सायल का प्राईमाफेशी केश है जिसमे कामयावी की पूर्ण उम्मीद है गैरसायलान को पावन्द नही किये जाने से सायल को अपूर्णीय क्षति है आराजी खसरा नम्बर 6626,6985 कुल किता 2 कुल रकवा 8 बीघा 9 बिस्वा कस्बा करौली पूर्व में सायल के बाबा सेडू पुत्र देवीचन्द के खातेदारी की रही है जिसमें उनके स्वर्गवास के वाद गैरसायलान न0 1/1 ता 1/3 व 2,3 का हिस्सा 1/5 न0 4/1 ता 4/6 का 1/5 गैरसायल न0 5 ता 8 का 1/5 हिस्सा व गैरसायल न0 9 ता 11 का 1/5 व सायल का 1/5 एवं गैरसायल 12 का 1/5 हिस्सा होता है सायल ने सायल व गैरसायलान का सजरा सेडू के समय का प्रार्थना पत्र के मद न02 में दर्ज किया है खसरा नम्बर 6626,6985 की विरासत सेडू के वाद सायल के पिता शिब्बूराम का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था लेकिन सहवन से सायल के पिता का नाम विरासत में खुलने से रह गया इसलिए सायल गैरसायल न013 का नाम विरासत में व खातेदारी में हिस्सा 1/5 रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज नही हुआ सायल का नाम रिकार्ड में दर्ज नही होने से सायल के अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति जरे नगद कमी सम्भंव नही है इसलिए गैर सायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। जब तक सायल का 1/5 हिस्सा रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज नही होता तव तक किसी को विवादित आराजीयात को रहन वय नही करें तथा सायल के हिस्सा में की जा रही काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा नही करें। भूमि में सायल का 1/5 हिस्सा है सायल अपने को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित कराकर सायल का बटवारा किया जाना आवश्यक है दौराने दावा यदि गैर सायलान को पाबन्द नही किया गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी सायल का दावा करने का मकसद ही फौत हो जावेगा गैर सायलान भूमि को बिना बटवारा प्लाटिंग कर बेच रहे है जिसका गैरसायलान को कोई हक नही है इसलिए दौराने दावा गैरसायलान को पाबन्द किया जाना आवश्यक है गैर सायलान को आराजी को बिना समुचित कनर्वजन की कार्यवाही के कृषि भूमि से अकृषि भूमि में अकृषि भूमि में परिवर्तन करना विधि विरूद्व होने से गैर सायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायलान न0 1/1 ता 1/3 व 2,9 व 11/1 ता 11/3 ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र सायल के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि सायल का कोई प्राईमाफेशी केस नही है सायल को कोई अपूर्णीय क्षति नही है। सेडू का सन् 1974–75 में [illegible] गया था सेडू के स्वर्गवास के वाद भूमि का खाता उकांर बालू गणेश व [illegible] लौहरे फरीकेन के परिवार मे से देवचन्द बाबा का भतीजा था [illegible] कोई [illegible] था जोधा के भाई सेडू के पांच पुत्र थे जिनमें शिब्बू पुत्र सेडू जोधा के गोद दिया [illegible] शिब्बू गोद जाने के वाद शिब्बू पुत्र जोधा को नाम से राजस्व कागजात में खातेदार दर्ज हुआ जोधा पुत्र लौहरे की सेपरेट खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 6270 ,6271,6272,6273, कुल किता 4 कुल रकवा 3 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6 बिस्वा की खातेदारी जोधा की मृत्यु पर विरासत दर्ज है सायल देवनारायण व गैरसायल 12 उक्त गोद पुत्र शिब्बू पुत्र जोधा के ही लडके है सायल ने अपने सगे भाई को द०० में गैरसायल न0 12 दर्ज किया है सायल अदालत शुद्धहस्त से नही आया है। खसरा नम्बर 6985 कस्बा करौली शिकारगंज पर स्थित है जो काश्त भूमि नही है पूरी भूमि पर आवास कॉलानी बन गयी है उकार के पुत्र ने अपने 1/8 मे से विष्णु पुत्र उकांर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा सन्तोष कुमार पुत्र राधावल्लभ महाजन को 20 वर्ष पूर्व विकय कर चुका है इसी प्रकार इन्दर व धापू के 1/4 हिस्सा को विक्रय कर मौके पर आवादी बसी हुई है इसी प्रकार 1/4 हिस्से के खातेदार गुनेश्य के वारियान के 1/4 हिस्से की भूमि विक्रय कर दी है गंगाधर के 1/4 हिस्सा मे से उसके पुत्र सीताराम ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा में प्लाट काटकर विकय कर दिया है सायल देवनारायण उक्त तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अदालत हाजा में दावा बटवारा संख्या 238/99 में विवाधक सख्या 01 को खिलाफ वादी तय कर दावा सन् 2003 में खारिज किया जा चुका था उक्त निर्णय फाईनल हो चुका है। उक्त निर्णय की कोई अपील लम्बित नही है सायल गैरसायल न012 भूमि में खातेदार दर्ज नही है सायल को प्रार्थना पत्र लगाने का अधिकार नही है। सायल व गैरसायल न012 के खिलाफ रेस्जूडीकेटा धारा 11 सी.पी.सी. लागू है। खसरा नम्बर 6985 तीन बड करौली में स्थित है जिसमें प्लाट काटकर आवादी बस चुकी है। सायल के कोई हक हकुक नही है। सायल का भूमि पर कब्जा नही है। प्रार्थना पत्र में सायल की धोषणा व बटवारा खातेदार नही किया जा सकता है। सायल को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है अन्य गैर सायलान द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2021 को बन्द किया गया है।

वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल का वहस में कथन है कि वादग्रस्त भूमि सायल व गैरसायल न012 के बाबा सेडू व पिता शिब्बू के समय की है जिसमें सायल व गैरसायल न012 के पिता का 1/5 हिस्सा हक खातेदारी है एंव 4/5 हिस्सा गैरसायलान न01 ता 11 व उनके पितागण का है। गैरसायलान दौरान दावा भूमि को प्लाट काटकर कृषि भूमि से अकृषि भूमि बिना कनर्वजन कराये बनाने व विकय करने पर तुले हुये है। यदि दौराने दावा गैरसायलान न01 ता 11ने भूमि को विकय कर किया तो सायल का दावा पेश करने का मकसद समाप्त हो जावेगा जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी भूमि सेडू के समय की पुश्तैनी होने से सायल व गैरसायल न012 के 1/5 हिस्सा हक हकूक खातेदारी व कब्जा है। इसलिए गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:47 IST
Reason: Self Attested

वकील गैरसायलान का वहस में कथन ... सायल व गैरसायल न012 का पिता शिब्बू जोधा पुत्र लौहरे के गोद चला गया है और वह जोधा का एकपुत्र है और जोधा के मरने के वाद उसकी आराजीयात का विरासत ... शिब्बू पुत्र जोधा के हक में खातेदारी इन्द्राज हुयी है सायल का दावा बटवारा मु.न. 238/1999 प्रहलाद बनाम

उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) करौली

देवनारायण सन 2003 में खारिज हो चुका है जो निर्णय फाईनल है जिसकी कोई अपील लम्बित नही है। भूमि में प्लाट काटकर विक्रय होकर आवादी बस चुकी है भूमि का सायल खातेदार नही है सायल का कब्जा नही है। सायल गैरसायल न01 ता 11 के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावें।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों का अवलोकन कर विवेचन किया गया । प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से शिब्बू का सेडू का पुत्र होना एव जोधा का विधिवत गोदपुत्र नही होना प्रकट होता है जिससे सायल व गैरसायलान के मध्य धोषणा खातेदारी व बटवारा का सदभावी विवाद है जो मूलवाद के अंतिम निर्णय पर होना है दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात के खुर्दबुर्द होने से रोका जाना उचित प्रतीत होता है। प्राईमाफेशी केस व सुविधा का सन्तुलन वादगग्रस्त आराजीयात की यथास्थिति बनाये रखें जाने में सायल के पक्ष में प्रकट है। प्रर्थाना पत्र सायल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 6626,6985 कुल किता 2 कुल रकवा 8 वीधा 9 विस्वा कस्वा करौली तहसील करौली को दीगर व्यक्तियों को रहन वय नही करे भूमि को कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित न तो स्वंय करें ना किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner